हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

निगमित कार्यालय, कोलकाता

राजभाषा दिवस 2018

संदेश

साथियों,

राजभाषा दिवस के अवसर पर आपको मेरी शुभकामनाएँ।

भारतीय संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर 'राजभाषा दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिन्दी संघ सरकार की राजभाषा है। अत: यह हमारा संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य है कि हम भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करें तथा अपना अधिकाधिक कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करें।

हिन्दी में काम करना आसान है। हम आम बोलचाल की भाषा, जिसमें सरल और सुबोध शब्दों का समागम हो, का भी प्रयोग कर सकते हैं। आज किसी भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा की तरह हिन्दी में भी लगभग सभी तकनीकी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अत: हिन्दी में काम करना अब और भी आसान हो गया है।

सरकार की राजभाषा नीति का आधार सद्‌भावना, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम संबंधित अनुदेशों की अनदेखी करें। हमें इनका भी अनुपालन उतनी ही कठोरता से करना चाहिए जिस प्रकार से अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

राजभाषा दिवस के अवसर पर मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार में अपना अधिकाधिक सहयोग करें ताकि हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड अपनी सभी इकाइयों एवं कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन का दायित्व पूरा करने के साथ-साथ इस दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित कर सके।

शुभकामनाओं सहित,

(संतोष शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कोलकाता
14 सितम्बर, 2018